न्यायालय उप,एण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 101/2011

सायल :- बनाम गैरसायलान :-

1. धन्नाराम पुत्र पांचाराम
   जाति-माली, निवासी-बलून्दा,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. हाथीराम पुत्र गुदडराम माली
   निवासी-बलून्दा
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
2. तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.13.07.2011

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायल।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 12/06/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में सायल व गैरसालान के खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 1231 रकबा 53 बीघा 01 बिस्वा व खसर संख्या 1227 रकबा 76 बीघा की आराजी आई हुई हैं। जिसमें सायल धन्नाराम 3/64 वें हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। सायल की उक्त आराजी बलून्दा से बांजाकूडी जाने वाली सडक से पश्चिमी और सडक से चिपते ही आई हुई हैं। जिसका नक्शा ट्रेश भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। इस भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सायल अपने हक हिस्से की उक्त आरजी पर आधुनिक तरीके से काश्त करना चाहते हैं। व अपने हक हिस्से की भूमि के चारों तरफ मेंडबंदी करवाकर काली मिट्टी डालकर भूमि उपजाउ बनाकर, इनमें कुआं खुदवाकर उन्नत तरीकें से काश्त करवाना चाहते हैं। इस परियोजनार्थ आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किये जाने की आवश्यकता हैं। सायल ने आराजी का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आपसी सहमति से बंटवाडा कराने का कहा तो गैरसायल हाथीराम ने दिनांक 11/07/2011 को ऐसा बंटवाडा कराने से स्पष्ट इंकार कर दिया कि सहमति से बंटवाडा नहीं करायेगा। जबकि सायल अपने हिस्से की आरजी का बंटवाडा कराने का विधिक अधिकारी हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवाडा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। सायल व गैरसायलान की उक्त अराजी संयुक्त व शामलाति हैं, जिसका अभी तब बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नहीं हो रखा हैं। साल की उक्त आराजी बांजाकुडी से बलून्दा जाने वाली सडक के चिपते ही स्थित हैं। इसी वजह से अब गैरसायल हाथीराम की नियत खराब हो गई हैं। वह आराजी का बिन बंटवाड़ा कराये ही सडक के चिपते ही बहुमूल्य व कीमती जमीन के विशिष्ट भू-भाग को अपना होना बताकर के अजनबी केता को बेचान करना चाह रहा हैं। दिनांक 11/07/2011 को ही गैरसायल हाथीराम ने सायल को एलानिया कथन किया कि - सडक के पास वाली चार बीघा जमीन बेचान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

करनी तय कर ली है। हाथीराम को विधिक प्रावधानों अनुसार आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा कराये बिना अजनबी केता विवादित आराजी को न तो खदी सकता है। न ही विशष्ट भू- भाग का कब्जा ही हासिल कर सकता हैं लेकिन गैरसायल हाथीराम विधिक प्रावधानों से परे जाकर ऐसा दुष्कृत्य करने को आमादा हैं। यदि गैरसायल हाथीराम ने आराजी के विशिष्ट भू-भाग को बेचान कर देता हैं, तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी व आरजी के कब्जे को लेकर के मौके पर विवाद होगा जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब इन समस्त परिस्थितियों में सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान के पेश हैं। समस्त तथ्यों,परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टियां बहुत ही मजबूत मामला हैं। आराजी सायल व गैरसायल की संयुक्त व शामलाति हैं। जिसका अभी तक कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं। तथा बिना बंटवाडा के गैरसायल को अराजी का विशिष्ट भू-भाग बेचान हस्तान्तरण करने का कोई भी अधिकार नही है। इसलिये सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायल को पक्ष में बखूबी प्रमाणित हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 बावजूद सूचना / तामिली के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 09/01/2013 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली आज राजस्व लोक अदातल अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा में पेश हुई। बहस वकील सायल सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील सायल पर गौर कर मनन किया गया। चूँकि सायल एवं गै0सा0 राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार हैं। लिहाज सायल के पक्ष में दिनांक 13/07/2011 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से गै0सा0 को उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रोका जाकर पाबन्द किया गया था। अतः उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में सायल व गैरसालान के खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 1231 रकबा 53 बीघा 01 बिस्वा व खसर संख्या 1227 रकबा 76 बीघा में सायल के हिस्से की भूमि में गै0सा0 को वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 13/07/2011 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबन्द किया गया था। उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner